

(भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड 2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या-14012/01/2014-अ.भा.से.-III

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 9 मार्च, 2015

अधिस्चना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के बैंच 2011 के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि (तिथियों) से स्थायी करते हैं :-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	संवर्ग	स्थायीकरण की तारीख
1.	पारधी सौरभ जामसिंह	गुजरात	29.08.2013
2.	राय महीमापत राय	झारखंड	29.08.2013

नवनीत मिश्रा
(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

फरीदाबाद (हरियाणा)।